

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

### प्रारूप-6

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित लोक सेवक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्नांकित लोक सेवक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1998 के नियम 50(1) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	लोक सेवक का नाम व पदस्थापन स्थान	पद	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने की दिनांक
1.	मोहम्मद शाकिर खां वरिष्ठ व्याख्याता (प्रधानाचार्य एवं समकक्ष) डाईट, टोंक	वरिष्ठ व्याख्याता	01.07.58	17.07.80	16.02.18
2.	जयकुमार सिंह पंवार प्रधानाचार्य, रा.आ.उमावि आनन्दगढ (बीकानेर)	प्रधानाचार्य	20.12.58	02.07.84	16.01.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित शिक्षा सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(नथमतल डिडेल)


आई.ए.एस.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/स्वैच्छिक सेनि/2018

दिनांक : 11.01.2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
3. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोकर करने का श्रम करें।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित अधिकारी
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग
9. प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा। 10 रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--:: आदेश ::--

श्री बलदेवराम सांगवा, जन्मतिथि 03.03.1960, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, नागौर इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.11.2017 के आधार पर सिविल सेवाएँ पेन्शन नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.02.2018 से राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बलदेवराम सांगवा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन के कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहीयां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 11-01-2018

क्रमांक: शिविरा/मा/साप्र/बी-1/3104/2013-14/76

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, अजमेर
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, अजमेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, नागौर
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक/निजी गार्ड पंजिका



उप निदेशक (प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

### प्रारूप-6

स्व. श्री रामावतार सेनि. प्रधानाचार्य लाठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डेला जिला झुझुनू मे कार्यरत थे, जिनकी जन्मतिथि 15.07.1951 है एवं जो दिनांक 31.07.2011 को अधिवार्षिकी आयुपरान्त राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित स्व. श्री रामावतार सेनि. प्रधानाचार्य लाठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डेला जिला झुझुनू के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीनच /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

205-1-2018  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/प्रपत्र-6/2018

दिनांक 10.01.2018

प्रो लिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, बीकानेर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, चूरु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), झुझुनू
4. कोषाधिकारी, झुझुनू
5. आश्रित स्व. श्री रामावतार सेनि. प्रधानाचार्य लाठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डेला जिला झुझुनू
6. प्रधानाचार्य लाठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डेला जिला झुझुनू
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोकर करने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली।

205-1-2018  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2014


दिनांक- 11/01/2018

**आदेश**

श्रीमती प्रज्ञा शर्मा, प्राध्यापक हिन्दी, रा0महारावल उमावि0- डूंगरपुर जिनकी जन्म तिथि:- 26/01/1962 है, का निधन दिनांक :- 19.11.2017 को हो चुका है। अतः प्रज्ञा शर्मा प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 19/19/2017 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित प्रज्ञा शर्मा के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2014

दिनांक- 11/01/2018

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डूंगरपुर
4. प्रधानाचार्य, रा0महारावल उमावि0- डूंगरपुर
5. आश्रित स्व. प्रज्ञा शर्मा, प्राध्यापक हिन्दी, रा0महारावल उमावि0- डूंगरपुर
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2014


दिनांक- 11/01/2018

**आदेश**

मुकेश कुमार श्रोत्रिय, प्राध्यापक हिन्दी, बटावदा- बांरा जिनकी जन्म तिथि:- 22/01/1966 है, का निधन दिनांक :- 31.10.2017 को हो चुका है। अतः मुकेश कुमार श्रोत्रिय प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 31/10/2017 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित मुकेश कुमार श्रोत्रिय के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिल्लेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2014

दिनांक- 11/01/2018

पतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) कोटा
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांरा
4. प्रधानाचार्य, बटावदा- बांरा
5. आश्रित स्व. मुकेश कुमार श्रोत्रिय, प्राध्यापक हिन्दी, बटावदा- बांरा
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर